

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स अंकिता कंस्ट्रक्शन, मालिक: अनिल कुमार, पिता: देवेन्द्र यादव, ग्राम-लहलादपुर, पोस्ट-सैदाबाद, थाना-रानीतालाब, कनपा, जिला-पटना-801104 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत अरवल पुनपुन इकाई-05 (सोनभद्र-01, सोनभद्र-02, सोनभद्र-03) बालू घाट, मौजा-सोनभद्र, अंचल-करपी, जिला-अरवल, राज्य बिहार के अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 14.09.2026 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय करपी परिसर के सभाकक्ष में, करपी, जिला-अरवल के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/3771/2026, dated 09.06.2026 के आलोक में श्री बालेश्वर प्रसाद अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), अरवल (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से) (जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक: 14.09.2026 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय परिसर के सभाकक्ष में, करपी, जिला-अरवल में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा: हिन्दुस्तान, पटना एवं कौमी तंजीम पटना दिनांक: 24.07.2026 और द टाइम्स आफ़ इंडिया, प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 25.07.2026 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गयाजी द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। यह बालू खनन पट्टा अरवल जिला अन्तर्गत पुनपुन नदी स्थित अरवल पुनपुन इकाई-05(सोनभद्र-01, सोनभद्र-02, एवं सोनभद्र-3), मौजा-सोनभद्र, अंचल-करपी, जिला-अरवल में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री अनिल कुमार, पिता-देवेन्द्र यादव को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है, इस खनन पट्टा में 5.54 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 99720 घन मीटर बालू का खनन प्रस्तावित है, इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 5 करोड़ 50 लाख है।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी द्वारा अरवल जिला अन्तर्गत पुनपुन नदी स्थित अरवल पुनपुन इकाई-05 (सोनभद्र-01, सोनभद्र-02, एवं सोनभद्र-3), मौजा-सोनभद्र, अंचल-करपी, जिला-अरवल के परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री धमेन्द्र कुमार को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी के प्रतिनिधि श्री धमेन्द्र कुमार के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण-संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉंगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर समाहर्ता महोदय की अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतिश कुमार के द्वारा इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 56 वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री शशिभूषण कुमार, पिता-विष्णुदेव राय ग्राम-सोनभद्र, प्रखंड-करपी, जिला-अरवल।	इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि फसल को धूल-कण से क्षतिपूर्ति न हो उसके लिए क्या उपाय किया जायेगा एवं ग्रामवासीयों को धूल-कण से परेशानी न हो उसके लिए क्या किया जायेगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन बार सड़को पर जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों का परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री शशिभूषण कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।

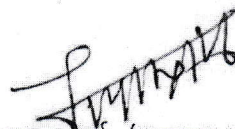
2.	दिलीप कुमार यादव, पिता—श्री मेधनाथ राय, ग्राम—सोनभद्र, प्रखंड—करपी, जिला—अरवल।	इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि बालू परिवहन के दौरान सड़क के किनारे गिरे हुए बालू का उठाव कौन करेगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बतलाया गया कि बालू परिवहन के दौरान सड़क के किनारे यदि बालू गिर जाता है तो उसको हटाने और सड़क साफ करने की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की होगी। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री दिलीप कुमार यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।
3.	मंतोष कुमार, पिता—श्री अवध नारायण राय ग्राम—सोनभद्र, अंचल—करपी, जिला—अरवल।	इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि मेरे पास बालू खनन में उपयोग होने वाली (एक्सवेटर/पोकलेन/डम्पर आदि) मशीनें हैं क्या उपयुक्त मशीनों को इस घाट के बालू उत्खनन के कार्य में लगाया जायेगा। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह परियोजना अर्द्धमशीनीकृत विधि से की जायेगी जिसमें बालू उत्खनन कार्य के लिए मशीनों का उपयोग किया जायेगा। लोक—सुनवाई के दौरान संवेदक प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि सुविधा के अनुसार जरूरत पड़ने पर उक्त मशीनों को काम में लाया जायेगा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री मंतोष कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।
4.	सुशील कुमार, पिता—देवराजीत यादव, ग्राम—सोनभद्र मठिया, अंचल—करपी, जिला—अरवल	इनके द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि बालू उत्खनन का कार्य कितने मीटर की गहराई तक किया जायेगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य 3 मीटर की गहराई तक ही किया जायेगा। यदि खनन के दौरान जल स्त्रोत या भूजल स्तर दिखाई देगा तो उसी दौरान बालू उत्खनन का कार्य रोक दिया जायेगा, ताकि नदी के प्राकृतिक जल और परिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री राजा कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन के उपरांत गीले बालू को Secondary Storage Facility में एकत्रित करने के पश्चात् ही बालू का उठाव एवं परिवहन का कार्य किया जाये। वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल का छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर गहराई तक ही करेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाये।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट का प्रस्तावित खनन परियोजना को प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।



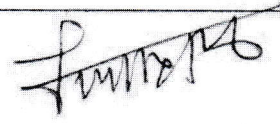
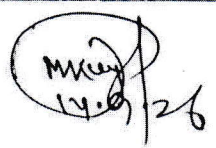
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, गयाजी



अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन),
अरवल

उपस्थिति सूची

मेसर्स अंकित कंस्ट्रक्शन, मालिक: अनिल कुमार, पिता: देवेन्द्र यादव,
ग्राम-लहलादपुर, पोस्ट-सैदाबाद, थाना-रानीतालाब, कनपा,
जिला-पटना-801104 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत अरवल पुनपुन
इकाई-05 (सोनभद्र-01, सोनभद्र-02, सोनभद्र-03) बालू घाट,
गौजा-सोनभद्र, अंचल-करपी, जिला-अरवल, राज्य बिहार का
प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक:
14.09.2026 को 03:00 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, करपी,
जिला-अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित
महानुभावों की सूची:

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Bahadur Prasad ADM, Arwal Arwal	Collectorate Arwal	
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	मैत्रीय पदाधिकारी जिला प्र. वि. पदाधि- कार्यालय	
3.	Abhishek Gupta	Mines Inspector Arwal	Abhishek Gupta 14. Sept. 26
4.	नीतीश कुमार	Aegis Env. Res. Pvt. Ltd. (Env. consultant)	Nitin K. 14.09.26
5.	Pranendra Kumar		Pranendra Kumar 14/09/26
6.	सुदेश कुमार सं. वा. चंड सिंह	सोनभद्र	murcen 10
7.	विजय सिंह सुनील सिंह	सोनभद्र मठिया	विजय सिंह
8.	शुशील कुमार देवराज सिंह भास्कर	सोनभद्र मठिया	शुशील कुमार

9.	अक्षय कुमार पिता देवकुमार प्रसाद	ग्राम. सीतामढ़	Akshay Kumar
10.	रवि कुमार श्री विनोद यादव	ग्राम सीतामढ़	रवि कुमार
11.	सुधीर कुमार पिता स्व: महेन्द्र यादव	ग्राम सीतामढ़	सुधीर
12.	लालु कुमार राम चमर	सीतामढ़	लालु कुमार
13.	२ धर्मेश्वर पितामाय २ भोज प्रसाद	सीतामढ़	२ धर्मेश्वर
14.	Sankar Kumar 80/ Lal Bahadur Yadav	Sankar	Sankar Kumar
15.	Lalu Prasad Yadav Bhupendra Singh	सीतामढ़	Lalu Prasad Yadav
16.	देवीलाल कुमार दिपक सिंह	सीतामढ़	देवीलाल कुमार
17.	Manoj Kumar Anand Kumar	Sankar	Manoj Kumar
18.	शशि कुमार पिता. विष्णु देव	सीतामढ़	शशि
19.	आमन चौधरी पिता - दिग्विजय चौधरी	सीतामढ़	आमन चौधरी

20.	दिलीप कुमार पिता श्री मेधाभाषा	सोनभद्र	दिलीप कुमार
21.	राजा कुमार पिता नागेश्वर कुमार	लेनगढ़	राजा कुमार
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			